

आय प्रमाण-पत्र

(काउन्सिलिंग/अन्तिम चयन के समय आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें)
(यह घोषणा पत्र माता/पिता/संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

भाग-1 (स्वघोषणा)

1. छात्र/छात्रा के माता/पिता/संरक्षक का नाम :
2. निवास स्थान का पूरा पता :
ग्राम : पोस्ट : ताहसील : जिला : पिन :

माता/पिता/संरक्षक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण

(1) कृषि भूमि से आय	
(2) घेतन, पैशान, नियोजन, मजदूरी से आय	
(3) मशीनरी, किराया, दुकान, व्यवसाय से आय	
(4) ब्याज, लाभांश, अन्य स्त्रोतों से आय	
कुल वार्षिक आय :-	

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

दिनांक :-

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर
नाम

भाग-2 (शपथ पत्र)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूं कि मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रु अक्षरे रु है। उक्त शपथपत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथपत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत या भिन्ना अथवा किन्हीं तथ्यों में फेर-बदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना, संरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता की धारा - 177, 197, 198, 200 एवं 420 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं यह अच्छी तरह से समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

दिनांक :-

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर
नाम

भाग-3 (दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्षी प्रमाणपत्र)

हम शपथपूर्वक वयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थियापुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थिया के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

(2) हस्ताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

नोट :- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, महापौर, उप महापौर, नगर निगम-नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, वार्ड मेंवर, राजकीय अधिकारी, कर्मचारी से अभिशंषा करवाएं)

भाग-4 (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु निवासी ने मेरे समक्ष उपस्थित हो कर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत/जिसकी पहचान के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर मय सील
प्रमाणीकरण अधिकारी

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायबतहसीलदार, नगर निकायों के अधिकारी, नोटरी पब्लिक, ऑथ कमिशनर, राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित कर प्रमाणीकरण करवाएं)